

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/एम 99/2018/228

दिनांक: 1/6/18

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों का निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	प्र.नि. दिनांक	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत एसीपी	
					पे बेण्ड	ग्रेड पे
1.	श्री भुवनेश छाबड़ा, नेत्र सहायक बीसीएमओ, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	17.6.89	27 वर्ष	17.6.2016	9300-34800	4200
2.	श्री बालूराम इनाणियां, नेत्र सहायक बीसीएमओ, ओंसिया, जोधपुर	15.6.89	27 वर्ष	15.6.2016	9300-34800	4200

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/एम 99/2018/228 दिनांक: 1/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर व जोधपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ओंसिया, (जोधपुर) व अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय कृपया आदेश को संबंधित अधिकारी को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर